

[2013] एस. सी. आर. 1079

सनौलाह खान

बनाम्

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 94-95/2011)

15 फरवरी, 2013

[ए. के. पटनायक एवं मदन बी. लोकर, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 और 201-तीन हत्या-परिस्थितिजन्य-साक्ष्य-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और मौत की सजा-अभिनिर्धारित: अभियोजन पक्ष द्वारा साबित परिस्थितियों की श्रृंखला उचित संदेह से परे स्थापित करती है कि यह अपीलार्थी ही था जिसने तीन व्यक्तियों को समाप्त किया था-इसलिए, हत्या के तीन अपराधों में से प्रत्येक के लिए अपीलार्थी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है-हालांकि, जहां तक संबंध है-सजा, अपराध के लिए उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया था-इसके अलावा, हालांकि मृत व्यक्तियों को बेरहमी से मार दिया गया प्रतीत होता है, अपीलार्थी द्वारा उनकी हत्या के लिए वास्तव में क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं है-अपीलार्थी की अत्यधिक दोषसिद्धि के गंभीर मामले को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और उसकी परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है-इसलिए, हत्या के तीन अपराधों में से प्रत्येक के लिए आजीवन कारावास और लगातार चलने वाली सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी-तदनुसार आदेश दिया गया-दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 -धारा 31-सजा/सजा-आपराधिक कानून-उद्देश्य।

अपीलार्थी और एक अन्य पर मुकदमा दंडनीय अपराध करने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34, 302, 120-बी तथा 201 के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचना देने वाले के पिता 'आर' की चाय की दुकान पर अपीलार्थी द्वारा आपूर्ति किए गए दूध की गुणवत्ता को लेकर दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया। दिनांक 16.12.2002 को लगभग रात 8 बजे 'ए', अपीलार्थी का कर्मचारी चाय की दुकान पर आया और 'आर' को बताया कि अपीलार्थी उसे फोन कर रहा था। 'आर' 'ए' के साथ चला गया। कुछ समय बाद 'ए' फिर से चाय की दुकान पर आया और कहा कि अपीलार्थी 'आर' के दूसरे पुत्र 'एस' को फोन कर रहा था। 'ए' के साथ 'एस' भी था। लेकिन, 'आर' और 'एस' दोनों अगली सुबह तक वापस नहीं आए। सूचक द्वारा दिए गए 'फरदबेयान' के आधार पर अपहरण के अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जाँच के दौरान अपीलार्थी के 'खातल' (एक पशुशाला) से 'आर', 'एस' और 'ए' के तीन शव बरामद किए गए। निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। दूसरे व्यक्ति को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के साथ-साथ मौत की सजा की भी पुष्टि की।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया।

अभिनिर्धारित किया:- 1.1 तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा तीन परिस्थितियाँ स्थापित की गई हैं। सबसे पहले, 'ए' लगभग 8 बजे 16.12.2002 को चाय की दुकान पर आया और 'आर' को बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बुलाया जा रहा है और 'आर' 'ए' के साथ चला गया और उसके एक घंटे के भीतर 'ए' फिर से चाय की दुकान पर आया और 'एस' को बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बुलाया जा रहा है और 'एस' भी 'ए' के साथ चला गया। दूसरा, 17.12.2002 को तीनों का मृतक शरीर अपराधी के कब्जे वाले कमरे से बरामद किया गया। तीसरा अपीलार्थी के पेशागृह से दोषी ठहराने वाली सामग्री आई.ओ. द्वारा बरामद किया गया। इस प्रकार, इन तीन परिस्थितियों की श्रृंखला उचित संदेह से परे स्थापित करती है कि यह अपीलार्थी ही था जिसने तीनों को समाप्त कर दिया था। इसलिए, शरद बर्डहिचंद सारदा* में निर्धारित 5 सुनहरे सिद्धांत तत्काल मामले में लागू होते हैं और एकमात्र परिकल्पना यह है कि

न्यायालय तीन परिस्थितियों की श्रृंखला से निष्कर्ष निकाल सकता है कि यह अपीलार्थी है जिसने तीन मृत व्यक्तियों की हत्या की है। [पारा 17-18] [1091-E-H; 1092-D-E]

*शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1985 (1)
एस.सी.आर. 88 = (1984) 4 एस.सी.सी. 116-1.2 पर निर्भर
था।

1.2 पीडब्लू4 का साक्ष्य अपीलार्थी के 'आर' और 'एस' मारने के उद्देश्य के संबंध में कुछ संदेह पैदा कर सकता है।..जहाँ अन्य परिस्थितियाँ केवल यह परिकल्पना कि अभियुक्त ने अपराध किया है, न्यायालय अभियुक्त को केवल इसलिए अपराध से बरी नहीं कर सकता क्योंकि मामले में अपराध करने का उद्देश्य स्थापित नहीं हुआ है। [पारा 19] [1093-बी-सी]

उज्जागर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2007 (13) एस. सी. आर. 653
(2007) 13 एस. सी. सी. 90-पर भरोसा किया गया।

जावेद मसूद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2010 (3) एससीआर
236 = (2010) 3 एससीसी 538; और मुख्तियार अहमद अंसारी
बनाम राज्य 2005 (3) एससीआर 797 (2005) 5 एससीसी
258-उद्धृत।

2.1 जहां तक सजा का संबंध है, अपीलार्थी का तीन व्यक्तियों की हत्या करने का उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या करने के तरीके का भी कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलार्थी की दोषीता अभियोजन द्वारा केवल तीन परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा स्थापित की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि या तो 'आर' या 'एस' को पिता या पुत्र को पहले दूसरे के सामने मारे जाते देखने के आघात से गुजरना पड़ा, एक शुद्ध अनुमान है। वास्तव में क्या घटना घटी जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या हुई, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चलता है वह यह है कि तीन मृत व्यक्तियों की अपीलार्थी

द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्रूरता एक प्रासंगिक कारक होगा, लेकिन यह कैसे हुआ यह भी एक प्रासंगिक और आवश्यक सामग्री है जिस पर यह तय करते समय विचार किया जाना चाहिए कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाए या नहीं। जैसा कि बचन सिंह के मामले में कहा गया है, मौत की अत्यधिक सजा केवल अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों में दी जा सकती है और सजा का चयन करने में, अपराध की परिस्थितियों के अलावा, दोषी के भी परिस्थितियों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, सबसे गंभीर मामले को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और अपीलार्थी की अत्यधिक दोषपूर्णता और अपीलार्थी की परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। [पारा 22-23] [1094-डी-एच; 1095-ए-डी-एफ]

पंची और ओआरएस वी.उत्तर प्रदेश राज्य 1998 (1) पूरक एस. सी.
 आर. 40 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2726; और बचन
 सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 (1) एस. सी. आर. 145 = 1980
 ए. आई. आर. 898

2.2 तथापि, तीन अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषीता स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं जैसा कि भारतीय दंड संहिता के धारा 300 में परिभाषित किया गया है और हत्या के तीन अपराधों में से प्रत्येक के लिए धारा 302 आई.पी.सी. के तहत आजीवन कारावास का उत्तरदायी है। आजीवन कारावास, यदि मृत्यु की चरम सजा नहीं है। धारा 31 (1) आपराधिक प्रक्रिया संहितान्यायालय को लगातार या समवर्ती रूप से चलने के लिए एक से अधिक अपराधों के लिए कारावास की सजा देने का अधिकार देता है। यह शब्द "कारावास" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में आजीवन कारावास की सजा शामिल है। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आजीवन कारावास समवर्ती रूप से नहीं बल्कि लगातार चलना चाहिए और इस तरह की सजा लगातार अपीलार्थी द्वारा की गई तीन हत्याओं के लिए कारावास की सजा न्याय के हित में होगी। तदनुसार आदेश दिया गया। [पारा 24 और 25] [1095-एफ-जी; 1096-बी-डी]

कमलानंदा और अन्य बनाम टी. एन. 2005 (3) एस. सी. आर.
182 = (2005) 5 धारा 194

माच्ची सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 (3) एस. सी. आर. 413 =
(1983) 3 धारा 470-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भ:

1983 (3) एससीआर 413	उद्धृत किया गया	पारा 5
2010 (3) एससीआर 236	उद्धृत किया गया	पारा 10
1985 (1) एससीआर 88	निर्भर था	पारा 18
2005 (3) एससीआर 797	उद्धृत किया गया	पारा 19 पर
2007 (13) एससीआर 653	निर्भर था	पारा 19 पर
1983 (1) एससीआर 145	निर्भर था	पारा 22 पर
1998 (1) पूरक एससीआर 40	संदर्भित किया	पारा 22 पर
2005 (3) एससीआर 182	निर्भर था	पारा 24 पर

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील सं. 94-95।

वर्ष 2007 के मृत्यु संदर्भ मामला संख्या 1 एवं साथ में 2007 की आपराधिक अपील डी.बी. सं.- 379 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2009 से

अपीलार्थी के लिए अमरेंद्र शरण, इरशाद अहमद, संचित जी., सोमेश चंद्र झा, ध्रुव पाल।

प्रत्यर्थी के लिए समीर अली खान, गोपाल सिंह। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

निर्णय

यह 2007 के मृत्यु संदर्भ मामला संख्या 1 और 2007 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 379 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2009 के निर्णय के खिलाफ एक अपील है।

तथ्य:

2. तथ्य बहुत संक्षेप में यह है कि एक फर्दबियान 17 दिसंबर, 2002 को ग्राम मथुरा के थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली में संजय कुमार (जिसे इसमें इसके बाद मुखबिर के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दायर किया गया था। फर्दबियान में कहा गया था: सूचक के पिता रविंद्र प्रसाद जीपीओ के पूर्वी द्वार के पास एक चाय की दुकान चला रहे थे। चाय की दुकान के लिए उन्हें प्रतिदिन लगभग 25 लीटर दूध की आवश्यकता होती थी और यह दूध यहां अपीलकर्ता सनाउल्लाह खान द्वारा लगभग एक महीने से आपूर्ति की जा रही थी। सनाउल्लाह खान ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और चाय की दुकान के ग्राहकों ने चाय की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। 2 दिसंबर, 2002 को लगभग दोपहर 2 बजे सनाउल्लाह खान मोहम्मद हामिद और अरविंद के साथ चाय की दुकान पर आए और दूध की आपूर्ति के लिए बकाया राशि की मांग की। गणना के बाद यह पाया गया कि बकाया रु. १, ०००/- था और रविंद्र प्रसाद ने सनाउल्लाह खान को रु. ५००/- दिए और कहा कि शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। रवीन्द्र प्रसाद ने हालांकि सनाउल्लाह खान को सूचित किया कि उनके द्वारा आपूर्ति किया गया दूध सही नहीं है और इसलिए वह अब अपने खटाल से दूध नहीं खरीदेंगे। सनाउल्लाह खान नाराज हो गया और उससे कहा कि वह उसे चाय की दुकान नहीं चलाने देगा। रवीन्द्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अपने चाय के स्टॉल पर उनके जैसे कई लोगों को देखा है। सनाउल्लाह खान ने कहा कि उन्हें गंभीर स्थिति का सामना करना

पड़ेगा और दो-चार दिन में वो उसको सबक सिखा देगा। इसके बाद सनाउल्लाह खान, हामिद और अरविंद चले गए। 16 दिसंबर, 2002 को लगभग रात 8 बजे अरविंद, जो सनाउल्लाह खान के साथ काम कर रहा था, आया और रविंद्र प्रसाद को बताया कि उसका मास्टर उसे किसी जरूरी काम के लिए बुला रहा है और रविंद्र प्रसाद अरविंद के साथ चला गया और एक घंटे तक वापस नहीं आया। अरविंद ने फिर आकर अपने भाई सनी कुमार को, जो चाय की दुकान पर था, बताया कि उसका मालिक उसे फोन कर रहा है और रविन्द्र प्रसाद खताल में है। सनी कुमार भी अरविंद के साथ थे। रविंद्र प्रसाद और सनी कुमार अगली सुबह तक वापस नहीं लौटे। सूचक को शक हुआ और उसने अपने पिता और भाई की तलाश शुरू कर दी। वह अपीलार्थी के खटाल गया, लेकिन उसे बंद पाया गया। उसे संदेह था कि अपीलकर्ता, हामिद और अरविंद ने उसके पिता और छोटे भाई का अपहरण कर लिया था।

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के अधीन अपहरण के अपराध के लिए कोतवाली, पुलिस स्टेशन में 2002 की थाना प्राथमिकी संख्या 451 के रूप में सूचना देने वाले द्वारा दिया गया फर्दबियान दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने जांच की तो तीन शव मिले पर्ल सिनेमा के पूर्वी बरामदे में एक कमरे में भूसी में छिपाए गए थे और शवों को जब्त किया गया था और एक जब्ती सूची तैयार की गई थी जिसमें परिमल कुमार और बालेश्वर राम ने गवाहों के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इनमें से दो शवों की पहचान सूचक ने रविंद्र प्रसाद और सनी कुमार के रूप में की। जांच रिपोर्ट और मृतकों के शवों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की गई। बाद में अरविंद के पिता रामानंद राम ने तीसरे शव की पहचान अरविंद के रूप में की। अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के अनुसरण में, तीन मृत व्यक्तियों के जूते, सैंडल और गमछा, एक रस्सी, एक छोटा प्लास्टिक बैग और एक चाकू खटाल के उत्तर-पूर्व में स्थित कचरे से बरामद किया गया और जब्त कर लिया गया और परिमल कुमार और बालेश्वर राम ने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 201 के तहत अपराध जोड़े गए और अपीलार्थी और हामिद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और यह मामला सत्र न्यायालय में किया गया।

4. मुकदमे में कुल आठ गवाहों से जिरह की गई। निचली अदालत ने कहा कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है और किसी को भी नहीं छोड़ती है। अपीलार्थी की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए उचित आधार और यह दर्शाता है कि सभी मानव संभाव्यताओं में, अपराध अपीलार्थी द्वारा किए गए होंगे। हालांकि निचली अदालत ने हामिद को आरोपों से बरी कर दिया। दंडादेश के प्रश्न पर सुनवाई करने के बाद, निचली अदालत ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अपीलकर्ता को मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाना चाहिए क्योंकि उसने पूर्व-विचार के बाद तीन असहाय व्यक्तियों को बेरहमी से मार दिया था और यदि उसे वर्तमान समाज में जीवित रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह उसके सह-मनुष्यों के लिए एक खतरा होगा और यह उन दुर्लभ मामलों में से एक था जिसमें अपीलकर्ता मौत की सजा का हकदार है। निचली अदालत ने तदनुसार उच्च न्यायालय को मौत की सजा सुनायी।

5. अपीलार्थी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील भी दायर की। उच्च न्यायालय ने 03.07.2006 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 391 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो बिंदुओं पर अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में अपीलार्थी के इकबालिया बयान को निम्नलिखित के माध्यम से एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था। जांच अधिकारी (पीडब्लू-8) को निचली अदालत द्वारा वापस बुलाए जाने के बाद और चाकू जिसे जब्त किया गया था और जब्ती सूची में आइटम 10 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उसे भी एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया था। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई की और अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन चार परिस्थितियों को प्रदर्शित करके 3 मृत व्यक्तियों की हत्या के संबंध में अपीलार्थी के दोष को सामने लाने में सक्षम रहा है और ये हैं: (i) अपीलार्थी मृतक रविन्द्र प्रसाद को दूध बेच रहा था और रविन्द्र प्रसाद ने दूध खरीदना बंद कर दिया था (ii) अपीलार्थी ने मृतक रविन्द्र प्रसाद को सम्मन किया और मृतक सन्नी कुमार को मृतक अरविंद के माध्यम से जो अपीलार्थी के साथ काम कर रहा था (iii) तीन मृत व्यक्तियों के शव अपीलार्थी के कमरे से बरामद किए गए थे और (iv) तीन मृत व्यक्तियों की हत्या में उपयोग किए गए हथियार अपीलार्थी के संस्वीकृति के अनुसरण में बरामद

किए गए थे। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलार्थी के मृत्युदंड की भी पुष्टि की कि इस न्यायालय द्वारा मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1983) 3 एससीसी 470] में जिन मामलों में मृत्युदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए, उनके संबंध में अधिकथित परीक्षण तथ्यों में उपस्थित थे और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट थे, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

पार्टियों के लिए विद्वान वकील के विचार:

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र शरण ने प्रस्तुत किया कि तीन मृत व्यक्तियों की हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में सक्षम रहा है, पी डब्लू-4 परिस्थितियों पर आधारित सही नहीं है।

7. श्री शरण ने पी डब्लू-3 के साक्ष्य पर इस प्रभाव के लिए भरोसा किया कि अरविंद के पास पुराने बकरी बाजार में एक डेयरी (खटाल) थी और पी डब्लू-4 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया कि अपीलकर्ता का कभी भी दूध का कोई व्यवसाय नहीं था, लेकिन उसका बकरी (बकरी) का व्यवसाय था। उसने प्रस्तुत किया कि पहली परिस्थिति जो मृतक रवींद्र प्रसाद और सनी कुमार की हत्या करने के लिए अपीलार्थी के लिए उद्देश्य थी, वह स्वयं इस मामले में स्थापित नहीं है।

8. श्री शरण ने प्रस्तुत किया कि दूसरी परिस्थिति को स्थापित करने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक व्यक्तियों रविंद्र प्रसाद और सनी कुमार को समन किया। उसने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अपीलार्थी ने अपने सेवक अरविंद के माध्यम से मृतक व्यक्तियों रविंद्र प्रसाद और सनी कुमार को समन किया है, लेकिन पी डब्लू-६ चाय की दुकान पर उपस्थित नहीं था। उसने प्रस्तुत किया कि पी डब्लू-७ के साक्ष्य से पता चलता है कि पी डब्लू-६ १६. १२. २००२ को पी डब्लू-७ के घर में था और १७. १२. २००२ की सुबह तक वहाँ रहा और इस प्रकार पी डब्लू-६ १६. १२. २००२ को

चाय की दुकान पर उपस्थित नहीं था जब अरविंद ने कथित रूप से रविन्द्र प्रसाद और सनी कुमार को बताया कि उन्हें अपीलार्थी द्वारा समन किया गया है।

9. श्री शरण ने आगे प्रस्तुत किया कि तीसरी परिस्थिति यह भी साबित नहीं हुई कि अपीलार्थी के कमरे से मृत शरीर बरामद किए गए थे क्योंकि पी डब्ल्यू-7 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृत शरीर वास्तव में पर्ल सिनेमा के सामने बरामद किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दो जब्ती गवाहों-पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शवों को बरामद किया गया है और जिस हथियार के साथ अपराध किया गया था और अन्य आपत्तिजनक सामग्री उनकी उपस्थिति में नहीं बनाई गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि बरामदगी करने वाले अधिकारी राजेंद्र तिवारी की भी जांच नहीं की गई है। उसने प्रस्तुत किया कि बरामदगी कूड़े के ढेर से की गई थीं, सोना मेडिकल हॉल के किनारे नाले से नहीं, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अपने इकबालिया बयान में कथित रूप से कहा गया है। उसने प्रस्तुत किया कि, इसलिए, चौथी परिस्थिति कि अपीलार्थी की संस्वीकृति के अनुसरण में दोषारोपण सामग्री बरामद की गई थी, वह भी स्थापित नहीं है।

10. श्री शरण ने शारद विरधीय-द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एस. सी. सी. 116] पर भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने केवल पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले संतुष्ट होने के लिए परीक्षण निर्धारित किए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में ये परीक्षण संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को निरस्त किया जाना चाहिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। उन्होंने फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने जावेद मसूद और अन्य बनाम राज्य के फैसले का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि अभियोजन राजस्थान (2010) 3 एस० सी० सी० 538 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी थी। उसने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पी डब्लू ३, पी डब्लू ४ और पी डब्लू ७ के साक्ष्य पर भरोसा करना, इसलिए, अभियोजन पर बाध्यकारी है।

11. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री समीर अली खान ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-6 का साक्ष्य सुसंगत है और यदि पीडब्लू-6 के साक्ष्य

पर अपीलार्थी के कमरे से शवों की बरामदगी के साथ-साथ हथियारों और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी पर भी विचार किया जाता है तो न्यायालय केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह अपीलार्थी है जिसने तीन मृत व्यक्तियों की हत्या की है। उसने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलार्थी ने निचली अदालत के समक्ष अपना संस्वीकृति वापस ले लिया जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था, अपीलार्थी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने, इसलिए, सही निर्णय दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

न्यायालय के निष्कर्ष:

12. पीडब्लू-6 का साक्ष्य, जिस पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने भरोसा किया है, स्पष्ट है कि 16.12.2002 को लगभग 8.00 बजे जब वह चाय की दुकान पर मौजूद था, तो अपीलार्थी के सेवक अरविंद ने आकर रविंद्र प्रसाद को यह कहते हुए बुलाया कि अपीलार्थी कुछ मुद्दों पर उससे बात करना चाहता था और यह कि रविंद्र प्रसाद अरविंद के साथ चला गया। पीडब्लू-६ ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि लगभग एक घंटे के बाद अरविंद फिर से आया और उसने बताया कि अपीलकर्ता सनी को भी फोन कर रहा था और सनी अरविंद के साथ चला गया और उसके बाद पीडब्लू-६ ने दुकान बंद कर दी और उसके घर चला गया। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में भी पी डब्लू-6 को कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि पी डब्लू-6 16.12.2002 को चाय की दुकान पर मौजूद नहीं था। श्री शरण ने, तथापि, पी डब्लू-7 के साक्ष्य का उल्लेख किया कि पी डब्लू-6 16.12.2002 को उसके घर आया है और रात में पटना में ही अपने घर में रहा और सुबह चला गया है, लेकिन पी डब्लू-7 ने यह नहीं बताया है कि पी डब्लू-6 उसके घर 16.12.2002 को कब आया था। इसलिए, पीडब्लू-7 का साक्ष्य पीडब्लू-6 के साक्ष्य का खंडन नहीं करता है कि वह 16.12.2002 को रात 8.00 बजे चाय की दुकान पर था जब अरविंद ने बताया रविंद्र प्रसाद और सनी कुमार ने कहा कि उन्हें अपीलकर्ता द्वारा बुलाया जा रहा था।

13. यह दिखाने के लिए सबूत भी हैं कि रविंद्र प्रसाद सनी कुमार और अरविंद के मृत शरीर अपीलार्थी के खटाल से बरामद किए गए थे। हालांकि, जब्ती के गवाह पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी जब्त नहीं किया गया था, पीडब्लू-6 ने कहा है कि जब अपीलकर्ता का खटाल (मवेशी शेड) खोला गया, तो उसने खून के कुछ टुकड़े देखे और शव दूसरे कमरे में पाए गए और ये शव रवींद्र प्रसाद सनी कुमार और अरविंद के थे। उसने यह भी कहा है कि तीनों शवों की जांच रिपोर्ट घटना के स्थान पर ही तैयार की गई थी और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और सभी तीन हस्ताक्षर उसके हैं और इन्हें प्रदर्श 1/5, 1/6 और 1/7 के रूप में चिह्नित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में, पी डब्लू-६ ने इस सुझाव का खंडन किया है कि उनकी उपस्थिति में शवों को बरामद नहीं किया गया था और यह कि उसकी उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और उसने जांच रिपोर्टों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे।

14. श्री शरण ने यह प्रस्तुत करने के लिए पी डब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा किया कि तीन शव खटाल से बरामद नहीं किए गए थे, लेकिन हम पाते हैं कि पी डब्लू-7 ने यह भी कहा है कि तीन शव पर्ल सिनेमा के उस कमरे से बरामद किए गए थे जहां अपीलार्थी के खटाल स्थित थे। पीडब्लू-७ ने, हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि मृत शरीर कहां से बरामद किए गए थे। इस प्रकार पी डब्लू-७ के साक्ष्य से वह स्थान स्थापित नहीं हो सकता है जहां से मृत शरीर बरामद किए गए थे, लेकिन पी डब्लू-६ के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि शव मोती सिनेमा के बरामदे में एक कमरे से बरामद किए गए थे, जो अपीलार्थी के कब्जे में था और पी डब्लू-६ के इस साक्ष्य का पी डब्लू-७ के साक्ष्य से खंडन नहीं किया गया है।

15. पीडब्लू-8, आई. ओ., जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, ने अपने बयान में कहा है कि पर्ल सिनेमा बुद्ध मार्ग में चाय की दुकान के पूर्व में स्थित है और लंबे समय से बंद था और सिनेमा हॉल के पूर्व में एक बरामदा है जो कई कमरों में विभाजित है और उत्तर में स्थित कमरों के पास है। उन्होंने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि इस कमरे

के फर्श के पश्चिमी भाग में भारी मात्रा में खून पाया गया था जो पहले से ही थक्का हो चुका था और पश्चिमी दीवार पर भी खून के धब्बे पाए गए थे। पीडब्लू-८ ने आगे कहा है कि इस कमरे के उत्तर में और दरवाजे के पास एक खाली जगह है जिसमें ग्रिल गेट लगा हुआ है और इस जगह के उत्तर में एक और कमरा है जिसमें पुआल का ढेर है और तीन शव भूसी के इस ढेर में छुपाए गए थे जो बरामद किए गए थे और भूसी को मृत व्यक्तियों के शवों पर लगी चोटों से चिपके हुए पाया गया था। पीडब्ल्यू-८ ने आगे कहा है कि तीन शव घटना स्थल से ही बरामद किए गए थे। उसने यह भी कहा है कि पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राजेन्द्र तिवारी ने तीनों शवों की जांच रिपोर्ट तैयार की और उसने सभी तीन जांच रिपोर्टों पर अपने हस्ताक्षर किए जो क्रमशः प्रदर्श ५, ५/१ और ५/२ के रूप में चिह्नित हैं।

16. पीडब्लू-८ ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि जांच के दौरान, अपीलार्थी द्वारा अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद, उसने उसे पुलिस रिमांड पर ले लिया और जांच के दौरान उसने अपना इकबालिया बयान दिया, और अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसने खून से सने दो जोड़ी प्लास्टिक के जूते, एक खून से सने सफेद गमछा (भारतीय प्रकार का तौलिया), एक खून से सने चेक किए गए गमछा, हरे रंग की एक प्लास्टिक की रस्सी, प्लास्टिक का एक खून से सने हुए टुकड़े, खून से सने हुए एक पुराने थैले, खून से सने हुए एक छोटे थैले, खून से सने हुए एक हरे रंग के छोटे प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक से बने खून से सने हुए एक छोटे कंटेनर, बकरी को मारने के लिए उपयोग किया जाने वाला 16 इंच का एक चाकू जब्त किया। पीडब्लू-८ ने यह भी कहा है कि बरामद की गई इन सभी वस्तुओं की एक जब्ती सूची राजेंद्र तिवारी द्वारा तैयार की गई थी और उसने राजेंद्र तिवारी के लेखन और हस्ताक्षर की पहचान की थी और जब्ती सूची प्रदर्श 6/1 के रूप में चिह्नित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 में कहा गया है कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य के बारे में पता चलता है, तो ऐसी जानकारी का इतना हिस्सा, चाहे वह संस्वीकृति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि स्पष्ट रूप से पता चला है, साबित किया जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी से प्राप्त जानकारी जिसके अनुसरण में पूर्वोक्त दोषारोपण सामग्री बरामद हुआ यह न केवल स्वीकार्य है, बल्कि साबित भी हो चुका है।

17. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा तीन परिस्थितियां स्थापित की गई हैं। अभियोजन द्वारा स्थापित पहली परिस्थिति यह है कि अरविंद १६. १२. २००२ को रात के लगभग ८. ०० बजे चाय की दुकान पर आया और उसने रविंद्र प्रसाद को बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बुलाया जा रहा है और रविंद्र प्रसाद अरविंद के साथ गया और उसके एक घंटे के भीतर अरविंद फिर से चाय की दुकान पर आया और सनी कुमार को बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बुलाया जा रहा है और सनी कुमार अरविंद के साथ चला गया। दूसरी परिस्थिति जो अभियोजन द्वारा स्थापित की गई है वह यह है कि १७. १२. २००२ को रवींद्र प्रसाद सनी कुमार और अरविंद के शव पर्ल सिनेमा के बरामदे में अपीलकर्ता के कब्जे में एक कमरे से बरामद किए गए। तीसरी परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की गई है, वह यह है कि अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसरण में I. O. द्वारा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। ये तीन परिस्थितियाँ शक से परे बताती हैं कि अपीलार्थी ने तीनों व्यक्तियों का सफाया कर दिया। अपीलार्थी जिसने तीन मृत व्यक्तियों का सफाया कर दिया था।

18. श्री शरण द्वारा उद्धृत शरद बिरधीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपर्युक्त) में पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपराध के सबूत के लिए निम्नलिखित 5 स्वर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए थे (i) वह परिस्थिति जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए (ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए (iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए (iv) उन्हें साबित किए जाने के लिए एक को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और (v) सबूत की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानव संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए। अभियोजन द्वारा पूरी तरह स्थापित तीन परिस्थितियों की श्रृंखला पर विचार करते हुए, एस. शारदा बर्दीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर) में निर्धारित 5 स्वर्ण सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं और एकमात्र परिकल्पना जो हम निम्नलिखित की श्रृंखला से निष्कर्ष निकाल सकते हैं: तीन परिस्थितियों के कड़ी में

हमलोग निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये अपीलार्थी हैं जिसने तीन मृत लोगों की हत्या कारित की है।

19. जावेद मसूद और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य का हवाला दिया गया है जिसपर (ऊपर) श्री शरण द्वारा उद्धृत, इस न्यायालय ने अपने पहले के आधार पर मुख्तार अहमद अंसारी बनाम राज्य [(2005) 5 एस. सी. सी.] के अनुसार न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर भरोसा करना प्रतिरक्षा के लिए खुला था। इस मामले में, हमने पाया है कि पीडब्ल्यू-7 का साक्ष्य पीडब्ल्यू-6 के साक्ष्य का खंडन नहीं करता है और बचाव पक्ष का समर्थन नहीं करता है। हालांकि, पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि यह अरविंद ही थे जिनके पास पुराने बकरी बाजार में एक खताल था। हमने पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य का अवलोकन किया है और हमें नहीं मिला है कि पीडब्ल्यू-3 ने कहा है कि अपीलार्थी के पास पर्ल सिनेमा के बरामदे में खताल नहीं था। बेशक, पी डब्लू 8 ने कहा है कि अपीलार्थी बकरी (भेड़ की बकरी) का व्यवसाय चलाता है और कभी दूध का व्यवसाय नहीं चलाता है, लेकिन पी डब्लू-8 के साक्ष्य में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पर्ल सिनेमा के बरामदे में कमरा अपीलार्थी के कब्जे में नहीं था। अधिक से अधिक बचाव पक्ष यह तर्क देने के लिए पीडब्ल्यू-4 पर भरोसा कर सकता है कि अपीलकर्ता ने दूध का व्यवसाय नहीं किया था और इसलिए अपराध करने का उद्देश्य मौजूद नहीं हैं। पी डब्लू 8 का साक्ष्य इस प्रकार रविन्द्र प्रसाद और सनी कुमार को मारने के अपीलार्थी के उद्देश्य के संबंध में कुछ संदेह पैदा कर सकता है। जहां अन्य परिस्थितियां केवल इस परिकल्पना की ओर ले जाती हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है, वहां न्यायालय केवल इस आधार पर अपराध के अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकता है कि अपराध करने का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता में स्थापित नहीं किया गया है। उज्जगर सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2007) 13 एससीसी 481] 90, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"यह सच है कि पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित मामले में उद्देश्य बहुत महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि उद्देश्य की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को खत्म कर देगी, शायद इस एक कारक को

महत्व दे रहा है जो उचित नहीं है और (cliche का उपयोग करने के लिए) उद्देश्य आरोपी के दिमाग में है और शायद ही कभी सटीकता की किसी डिग्री के साथ समझा जा सकता है।"

दंड:

20. दंड के प्रश्न पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मृत्युदंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के अधीन विशेष कारण अभिलिखित किए हैं। निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने रविन्द्र प्रसाद और सन्नी कुमार हत्या कर दी है छोटी बात पर और अपीलकर्ता ने अपने नौकर अरविंद को भी नहीं छोड़ा है। निचली अदालत ने तीनों मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पाया कि उनकी पूर्व-विचार के बाद निर्दयता से हत्या की गई है। निचली अदालत ने आगे कहा है कि यदि अपीलकर्ता को समाज में रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह अपने सह-मनुष्यों के लिए एक बड़ा खतरा होगा। उपर्युक्त कारणों से, विचारण न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

21. मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से माछी सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य (ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 957) के अधिकथित मानदंडों के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि करने में जिन कारणों को महत्व दिया गया, वे हैं कि अपीलकर्ता ने मामूली आर्थिक लाभ के लिए तीन जीवन लेने में संकोच नहीं किया-सन्नी की कोमल उम्र से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था-न तो रविंद्र या सन्नी को पिता या पुत्र को पहले सामने मारते हुए और उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे और कई हत्याओं का कारण बनने के लिए एक कसाई चाकू का उपयोग किया गया था। मृतक अरविंद पर हमला कर सभी सबूतों को मिटा देना, जो भी कायरतापूर्ण था।

22. तथापि, हमने देखा है कि इस मामले में तीन व्यक्तियों की हत्या करने का अपीलार्थी का उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक कारण यह नहीं है कि हत्याएं मामूली आर्थिक

लाभ के लिए की गई थीं। हमने यह भी पाया है कि जिस तरह से अपीलार्थी ने तीन व्यक्तियों की हत्या की उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अपीलार्थी का दोष अभियोजन द्वारा स्थापित तीन परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रविंद्र या सनी को पहले पिता या पुत्र को दूसरे के सामने मारे जाते हुए देखने का सदमा सहना पड़ा, एक शुद्ध अनुमान है। इसी तरह, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि हाथों और पैरों को बांध दिया गया था और कई हत्याओं के लिए एक कसाई चाकू का उपयोग किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकाला गया एक निष्कर्ष है। अपीलार्थी द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या के लिए वास्तव में क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम से क्या दिखाई देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि अपीलार्थी द्वारा तीन मृत व्यक्तियों की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। हालांकि, यह आयोजित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा सुभाष रामकुमार बिंदू @वकील और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ए० आई० आर० 2003 एस० सी० 269) भारत संघ और एक अन्य वाले मामले में क्रूरता एक प्रासंगिक कारक होगा लेकिन यह कैसे हुआ यह भी एक प्रासंगिक और आवश्यक सामग्री है जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास दिया जाए या मृत्यु दी जाए। इसके अलावा, पंची और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [एआईआर 1998 एससी 2726] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है:

"जिस तरीके से हत्या की गई थी उसकी क्रूरता एक आधार हो सकता है, लेकिन यह तय करने का एकमात्र मानदंड नहीं है कि क्या यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभ मामलों" में से एक है, जैसा कि बचन सिंह के मामले (एआईआर 1980 एससी 898) में इंगित किया गया है, एक तरह से हर हत्या क्रूर है, और एक-दूसरे से अंतर हत्या को कम करने या बढ़ाने वाली विशेषताओं के कारण हो सकता है।"

23. तथापि, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि क्योंकि अपीलार्थी ने तीन मृतकों का सफाया कर दिया है, यदि अपीलार्थी को समाज में रहने की

अनुमति दी जाती है, तो वह अपने सह-मनुष्यों के लिए एक बड़ा खतरा होगा। मृत्यु की चरम सीमा का दंड देने का यह कारण आशंका और मृत्यु का चरम दंड अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि बचन सिंह के मामले में (पूर्वोक्त) चार न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, मृत्यु की चरम सीमा केवल अत्यधिक अपराध के गंभीर मामलों में और अपराध की परिस्थितियों के अलावा दंडादेश का चयन करने में, अपराधी की परिस्थितियों का भी सम्यक ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हमें अपीलार्थी के अत्यधिक अपराध के सबसे गंभीर मामले को स्थापित करने के लिए साक्ष्य नहीं मिला है और हमारे पास अपीलार्थी की परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए सबूत भी नहीं है।

24. तथापि, हमारे पास भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित हत्या के तीन अपराधों के लिए अपीलार्थी के दोषीपन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और हत्या के तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास के लिए दायी है, यदि मृत्यु की चरम शास्ति नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) में यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक अपराधों के एक विचारण में दो-सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे अपराधों के लिए दंड दे सकता है। वहां विहित दंड, जिनके लिए ऐसा न्यायालय ऐसे दंड देने के लिए सक्षम है, जब कारावास से मिलकर बना हो और दूसरे की समाप्ति के बाद ऐसे आदेश में जैसा न्यायालय निदेश दे, जब तक कि न्यायालय यह निदेश न दे कि ऐसे दंड साथ-साथ चलेंगे। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) न्यायालय को एक से अधिक अपराधों के लिए कारावास का दंडादेश देने के लिए सशक्त करती है। साथ-साथ कमलानाथ और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य [(2005) 5 एससीसी 194], के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में 'कारावास' शब्द में आजीवन कारावास के लिए दंडादेश शामिल है। इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि अपीलार्थी आईपीसी की धारा 300, के तहत हत्या के तीन अपराधों में से प्रत्येक के लिए आजीवन कारावास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दायी है और आजीवन कारावास समवर्ती नहीं बल्कि क्रमिक रूप से

चलाया जाना चाहिए और अपीलार्थी द्वारा की गई तिहरे हत्या के लिए लगातार कारावास के ऐसे दंड न्याय के हित की पूर्ति करेंगे।

25. नतीजतन, हम धारा 302 के तहत हत्या के तीन अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखते हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए मृत्युदंड को आजीवन कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है और यह निर्देश दिया जा सकता है कि तीनों अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा लगातार चलेगी, न कि एक साथ। इस प्रकार, अपीलों को केवल दंडादेश के प्रश्न पर अनुमति दी जाती है और दोषसिद्धि के संबंध में खारिज कर दिया जाता है।

(ए. के. पटनायक, न्यायमूर्ति)

(मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति)

नयी दिल्ली

15 फरवरी, 2013

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।